ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश नं0–140 / 16–17

अंचल अधिकारी, महागामा बनाम् फिरोज अंसारी

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–452 / रा0, दिनांक–21.08.2015 के अनुसार विवादित दाग नं0 मौजा–बसुआ नं0–692, जमाबंदी नं0–4, दाग नं0–38, रकवा– 00–19–04 धूर, किस्म–बाड़ी ओवल एवं दाग नं0–50, रकवा– 00–02–11 धूर भूमि, किस्म–धानी सोयम के रूप में खतियान में दर्ज है। भूमि पर विपक्षी फिरोज अंसारी, सा0–कुसडीहा के द्वारा अवैध ढंग से दखल कर लिया गया है। अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा विपक्षी फिरोज अंसारी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने का अनुशंसा किया गया है। उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयत के वंशजों द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 20 के प्रावधानों का उल्लंघन कर उक्त भूमि का अवैध हस्तांतरण किया गया है। यद्यपि विपक्षी का कहना है कि उक्त भूमि से विपक्षी का कोई संबंध नहीं है। परन्तु अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–123 / रा0, दिनांक–15.02.2017 से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के द्वारा भूमि का अवैध हस्तांतरण किया जाता है। उक्त भूमि को लेकर विवाद जारी है तथा जमाबंदी रैयत द्वारा अपनी रैयती भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को बेचा जा रहा है एवं इस पर निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। संथाल रीतियों के अनुसार पुत्री का अपने पिता के सम्पत्ति में उत्तराधिकारी सामान्यतः नहीं होता है।

विगत सर्वे के Record of rights की कंडिका–14 Occupancy right of the raiyats के अनुसार ....To hold and enjoy their raiyati holdings so long as they pay rent and keep the land properly fit for cultivation. The lawful heirs of raiyats succeed to their rights ..... साथ ही विगत सर्वे के Record of rights की कंडिका–18 के अनुसार ....Effect of illicit alienation of holdings. ----- If the headman or any raiyat of the village alienates his holding or a portion of his holding contrary to the provisions of this record, or to any orders passed by Government, it shall be open to the Deputy Commissioner to evict both the transfer and transferee from the area alienated, and to settle it with duly qualified raiyats of the village or to otherwise dispose of it according to the circumstances of the case.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विगत गेंजर सर्वे के Record of rights के प्रावधानों के विपरित विवादित भूमि को जानबूझ कर विपक्षी को अवैध दखल कराया गया है। अतः विगत सर्वे के, Record of rights के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मौजा–बसुआ के जमाबंदी नं0–04, दाग नं0–38, रकवा– 00–19–04 धूर एवं दाग नं0–50, रकवा– 00–02–11 धूर भूमि से सलेसिया हेम्ब्रम, पिता–भोजू हेम्ब्रम तथा

विपक्षी फिरोज अंसारी, पे0–अहमद अंसारी को उच्छेद किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि खाली करवाते हुए इन्हें सरकारी भूमि घोषित करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे तथा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 67 के तहत् अवैध खरीद–बिक्री करने के आलोक में संबंधितों के विरूद्ध दण्ड आरोपित करने का प्रस्ताव समर्पित करेंगे। अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश की प्रति भेंजे।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।